

## संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 34 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 10-10-09 लीटर ( कुल 29 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- मुनीराम चौहान पुत्र रामअवध निवासी बन्नी 2- अतीक अहमद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी उसराशहीद थाना दुधारा 3- विवेक कुमार पुत्र श्रीराम निवासी बघौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर क्रमशः मु0अ0सं0 270 / 2020, 271/20, 272/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 05 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता रमेश पुत्र बाबूलाल निवासी सुअरहा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 253 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

## पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा महिला के साथ अभद्रता को लेकर हो रहे विवाद को कराया गया

शान्त— पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत संठी से इवेन्ट संख्या 05840 से किसी महिला के साथ छेड़खानी / अभद्रता होने के सम्बन्ध सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर छेड़खानी को लेकर हो रहे विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना के घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 जगदीश शरण, आ0चा0 राजीव सोनकर।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 88 वाहनो से 101600 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**  
आज दिनांक 10-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 88 वाहनो से 101600 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।